<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>17/5/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है जिसमें एसके शाहजहाँ, एसके अलोमगीर, शेख सुमैया हाफ़िज़िया ट्रस्ट (एसके अलोमगीर द्वारा प्रतिनिधित्व), अब्दुल अलीम मोल्ला, शिब प्रसाद हाजरा और अन्य की चल/अचल संपत्तिया सम्मिलित हैं। इस पीएओ में **शाहजहाँ शेख और अन्य** के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत रुपये 3.78 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियाँ (17 बैंक खाते) और रुपये 10.50 करोड़ की 55 अचल संपत्तियाँ [38.90 बीघे], कुल राशि रुपये 14.28 करोड़ शामिल हैं।

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा आईपीसी अधिनियम, 1860 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत शाहजहाँ शेख और अन्य के खिलाफ दर्ज 13 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चोट पहुंचाने की धमकी, हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली आदि संगठित अपराध में शामिल होकर आतंक का माहौल बनाया और आम जनता की जमीन भी हड़प ली और अवैध धन संबंधी लाभ/ फायदे भी प्राप्त किए।

ईडी की जांच से पता चला है कि एसके शाहजहाँ ने जमीन हड़पने, अवैध मछली पालन/व्यापार, ईंट के खेतों को हथियाने, ठेकों का कार्टेलाइजेशन, अवैध करों/लगान का संग्रह, भूमि सौदों पर कमीशन आदि के इर्द-गिर्द घूमते हुए एक आपराधिक साम्राज्य बनाया था।

जांच के दौरान पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत स्थानीय किसानों, आदिवासियों, मछली व्यापारियों, एजेंटों, निर्यातकों, भूमि मालिकों, ठेकेदारों आदि सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसमें एस के शाहजहाँ और उसके भाई एस के अलोमगीर की 3 कारें यानी एक थार, स्कॉर्पियो- न्यू और महिंद्रा जीप जब्त कर ली गई।

इससे पहले, ईडी ने पीएओ दिनांकः 05.03.2024 के माध्यम से एस के शाहजहाँ की रुपये 12.78 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। कुल पीओसी रुपये 288.20 करोड़ में से 27 करोड़ रुपये अनंतिम रूप से कुर्क किए गए हैं जो कथित तौर पर उक्त व्यक्तियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न और अर्जित किए गए, जैसा कि पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच के दौरान पता चला।

एसके शाहजहाँ, उसका भाई एसके अलोमगीर और उनके दो साथी शिब प्रसाद हाजरा और दीदार बोक्श मोल्ला नाम के चार लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और ये सभी 4 व्यक्ति वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।